न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन (मण्डलेश्वर)

(पीठासीन अधिकारी– मुकेश नाथ)

—:::— नि र्ण य —:::—

(आज दिनांक 27.07.2026 को घोषित)

S.T. No. /75/2022
Registration No. /ST /75/2022
Filing No. /ST /3512/2022
CNR No. MP1005-004238-2022
Filling Date 23.07.2022

पुलिस थाना खरगोन, जिला खरगोन (म.प्र.) के अपराध क्रमांक 237/2022 अपराध धारा 147, 148, 149, 436, 435, 427, 336, 450, 120बी भा.द.सं., 1860 एवं धारा 3, 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 से उद्भूत सत्र प्रकरण।

अभियोजक	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना खरगोन, जिला खरगोन (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री युवराज गुजराथी, अपर लोक अभियोजक।

:: **विरूद्ध** ::

अभियुक्त	**01.**	इबादत पिता अब्बास अली, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 16, मियामान मोहल्ला, खरगोन, जिला खरगोन.
	02.	सादिक पिता शाबीर खान, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी मियामान मोहल्ला, खरगोन, जिला खरगोन.
	03.	अब्दुल्ला पिता युसुफ खान बागवान, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी मियामान मोहल्ला, बगले वाली गली, खरगोन, जिला खरगोन.
	04.	साहेब उर्फ शाहिब पिता जाहिद, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी मियामान मोहल्ला, रामेश्वर टॉकिज के पीछे, खरगोन, जिला खरगोन.
	05.	शेरयार पिता मेहराज, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी मियामान मोहल्ला, कुँए के पास,

Scanned with OKEN Scanner

		खरगोन, जिला खरगोन.
	06.	फैजल पिता आजम खान, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी कलाली कुआ, अल्लावाला मस्जिद के सामने, खरगोन, जिला खरगोन.
	07.	आजम पिता निजाम खान, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी कलाली मोहल्ला, अल्लावाला मार्ग, खरगोन, जिला खरगोन.
	08.	शब्बीर पिता अब्दुल रसीद खान, आयु लगभग 54 वर्ष, निवासी कलाली कुए के पास, शाही मस्जिद के पास, खरगोन, जिला खरगोन.
	09.	इमरान पिता अमीर अली, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी कलाली कुआ, मस्जिद के सामने, खरगोन, जिला खरगोन.
	10.	मुस्ताक पिता लियाकत अली, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी कलाली मस्जिद के सामने, खरगोन, जिला खरगोन.
	11.	राजिक पिता रमजान अली, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी कलाली मोहल्ला, मछली बाजार के पास, खरगोन, जिला खरगोन.
प्रतिनिधित्व द्वारा	अभियुक्त इबादत अली द्वारा श्री हरीश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता। शेष अभियुक्तगण द्वारा श्रीमती रेखा श्रीवास्तव एवं श्री एम.ए.खान, अधिवक्ता।	

01 :– अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147, 148, 336 सहपठित धारा 149, 427 सहपठित धारा 149, 435 सहपठित धारा 149, 436 सहपठित धारा 149 व 450 भा.द.सं. एवं धारा 3 सहपठित धारा 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 10/04/2022 को शाम 18:00 बजे से 21:00 बजे के मध्य जिला खरगोन, थाना खरगोन के अंतर्गत भाटवाड़ी मोहल्ला स्थित फरियादी के घर के पास अभियुक्तगण जिनकी संख्या 05 से अधिक थी,

Scanned with OKEN Scanner

ने एक–दूसरे के साथ मिलकर विधिविरूद्ध जमाव का गठन किया और इस जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बलवा एवं घातक आयुधों या अन्य किसी आक्रामक आयुध से सज्जित होकर बलवा कारित किया, उसी समय अभियुक्तगण ने स्वयं या सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में पत्थर व ईंट से आमजन पर पत्थरबाजी कर उनका जीवन संकटापन्न किया, उसी समय अभियुक्तगण ने स्वयं या सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी श्याम, रोहित, योगेश, अभय, गोकुलदास एवं दिनेश के मकान, वाहनों एवं अन्य सामान में तोड़–फोड़ कर उन्हें रूपये 50/– से अधिक की रिष्टि कारित की, उसी समय अभियुक्तगण ने स्वयं या सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी श्याम, रोहित, योगेश, अभय, गोकुलदास एवं दिनेश के मकान, वाहनों एवं अन्य सामान को नष्ट करने के आशय से उनके मकान एवं वाहनों के ऊपर पेट्रोल बम फेंककर या आग लगाकर उन्हें रूपये 100/– से अधिक की रिष्टि कारित की, उसी समय अभियुक्तगण ने स्वयं या सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी श्याम, रोहित, योगेश, अभय, गोकुलदास एवं दिनेश के मकान, वाहनों एवं अन्य सामान को नष्ट करने के आशय से उनके मकान एवं वाहनों के ऊपर पेट्रोल बम फेंककर या आग लगाकर रिष्टि कारित की, उसी समय फरियादी श्याम, रोहित, योगेश, अभय, गोकुलदास एवं दिनेश के आवासीय मकान में आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया एवं उसी समय फरियादी श्याम, रोहित, योगेश, अभय, गोकुलदास एवं दिनेश के मकान, वाहनों एवं अन्य सामान को नष्ट करने के आशय से उनके मकान एवं वाहनों पर पेट्रोल बम फेंककर इस प्रकार विस्फोट कारित किया जिससे जीवन के खतरे में पड़ने की सम्भावना थी और इस कृत्य से उक्त फरियादी की सम्पत्ति को गम्भीर क्षति कारित हुई।

Scanned with OKEN Scanner

02 :– अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि :–

(i) दिनांक 12/04/2022 को फरियादी/सूचनाकर्ता श्याम महाजन ने पुलिस थाना खरगोन, जिला खरगोन पर एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र (प्रदर्श पी–01) सारतः इस आशय का दिया कि अज्ञात लोगों ने भाटवाड़ी मोहल्ला, खरगोन स्थित उसके घर के मेन गेट को तोड़ा, घर के अन्दर आगजनी की, घर के सारे कॉच–खिड़की फोड़ दिये व घर के अन्दर रखी उसके छोटे भाई अक्षय महाजन के नाम पर पंजीकृत बाईक यामाहा एफ.झेड. क्रमांक एम.एच.–12,आर.डी.–1940 को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया।

(ii) दिनांक 12/04/2022 को ही अन्य पीड़ित/सूचनाकर्ता गोकुल ने पुलिस थाना खरगोन, जिला खरगोन पर एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र (प्रदर्श पी–17) सारतः इस आशय का दिया कि दिनांक 10/04/2022 को शाम 06:00 बजे 12–15 मुस्लिम दंगाई हाथ में पत्थर एवं पेट्रोल बम लेकर एकमत होकर आए व भाटवाड़ी मोहल्ला, खरगोन स्थित उसके घर पर प्राणघातक हमला किया, जिससे उसके घर में रखा किराना दुकान का सामान व टी.व्ही. को फोड़ दिया, उसकी बाईक क्रमांक एम.पी.–10,एम.व्हाय.–9860 को जला दिया, खिड़की–दरवाजे को भी पेट्रोल डालकर जला दिया, जिसमें अभियुक्त सादिक पिता शाबीर, शेरयार पिता मेहराज, अब्दुला पिता युसुफ व अन्य लोग शामिल थे।

(iii) दिनांक 12/04/2022 को अन्य पीड़ित/सूचनाकर्ता रोहित ने पुलिस थाना खरगोन, जिला खरगोन पर एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र (प्रदर्श पी–19) सारतः इस आशय का दिया कि घटना दिनांक 10/04/2022, रविवार रामनवमी के अवसर पर शाम 06:00 बजे 10–12 मुस्लिम दंगाई हाथ में पत्थर एवं पेट्रोल बम लेकर एकमत होकर आए व भाटवाड़ी मोहल्ला, खरगोन स्थित उसके घर पर पत्थर व पेट्रोल बम फेंककर जान से मारने का प्रयास किया, उक्त दंगाइयों में सादिक पिता शाबीर, अब्दुल पिता युसुफ, शाहेब पिता

Scanned with OKEN Scanner

जाहिद, शेरयार पिता मेहराज व अन्य लोग शामिल थे, पत्थरबाजी व पेट्रोल बम से उक्त दंगाइयों ने उसके घर का मेन गेट का दरवाजा तोड़ दिया, खिड़कियों के पल्ले व कांच, एलिवेशन के कांच, टी.व्ही. तोड़–फोड़ दिये एवं दरवाजे में आग लगा दी, उक्त दंगाइयों ने उसके मकान पर पत्थरबाजी व पेट्रेल बम फेंककर लगभग नब्बे हजार का नुकसान पहुँचाया है।

(iv) दिनांक 12/04/2022 को अन्य पीड़ित अभय/सूचनाकर्ता ने पुलिस थाना खरगोन, जिला खरगोन पर एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र (प्रदर्श पी–25) सारतः इस आशय का दिया कि घटना दिनांक 10/04/2022 की शाम 06:00 बजे 10–12 मुस्लिम के दंगाई हाथ में पत्थर एवं पेट्रोल बम लेकर उसके घर के मेन गेट पर फेंका, साथ ही उसके घर के बाहर खड़ी उसके छोटे भाई हर्षल कंठाल्या के नाम पर पंजीकृत गाड़ी ड्रीम युगा क्रमांक एम.पी.–10,एम.टी.–9094 में आग लगाकर गाड़ी को जला दिया, जिसमें अभियुक्त अब्दुल पिता युसुफ, शाहेब पिता जाहिद, सादिक पिता शाबीर व अन्य लोग शामिल थे।

(v) दिनांक 12/04/2022 को अन्य पीड़ित दिनेश/सूचनाकर्ता ने पुलिस थाना खरगोन, जिला खरगोन पर एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र (प्रदर्श पी–31) सारतः इस आशय का दिया कि घटना दिनांक 10/04/2022 की शाम 06:00 बजे 12–15 मुस्लिम दंगाई हाथ में पत्थर एवं पेट्रोल बम लेकर एकमत होकर आए, जिन्होंने उसके घर में लगे कैमरों व उसके डी.वी. आर. को तोड़कर, घर के मेन गेट को तोड़कर, उसके घर में पेट्रोल बम फेंके, घर के अन्दर घुसकर डी.वी.आर. तोड़कर ले गए व घर में रखा कीमती सामान नकद रूपये तीस हजार, 20 ग्राम वजनी सोने की चेन, एक चांदी का नारियल, दो चांदी के ग्लास व दो जोड़ चांदी की पायल अलमारी में से लेकर चले गए, जिसमें अभियुक्त इबादत अली, अब्दुल पिता युसुफ, सैयार पिता मेहराज, सादि पिता शाबीर, फेजल व अन्य लोग शामिल थे।

Scanned with OKEN Scanner

(vi) दिनांक 12/04/2022 को अन्य पीड़ित/सूचनाकर्ता योगेश ने पुलिस थाना खरगोन, जिला खरगोन पर एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र (प्रदर्श पी–40) सारतः इस आशय का दिया कि घटना दिनांक 10/04/2022 की शाम 06:00 बजे 10–15 दंगाई सुनियोजित तरीके से हाथ में उसके घर पर पत्थर, ईंट एवं पेट्रोल बम से हमला कर उसके घर के खिड़की, दरवाजे, कांच फ्रेम, चैनल गेट व घर की प्रथम मंजिल पर फेंके, जिसमें अभियुक्त सादिक खान, युसुफ व अन्य लोग शामिल थे।

(vii) फरियादी/सूचनाकर्तागण के उक्त लिखित शिकायत आवेदन पत्रों (प्रदर्श पी–01, पी–17, पी–19, पी–25, पी–31 व पी–40) के आधार पर दिनांक 12/04/2022 को ही अभियुक्त इबादत अली, सादिक खान, फैजल, अब्दुल्ला, शाहिब, शेरयार व अन्य अज्ञात के विरूद्ध पुलिस थाना खरगोन, जिला खरगोन में धारा 147, 149, 436, 435, 427, 336 भा.द.सं., 1860 के तहत अपराध क्रमांक 237/2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–07) लेखबद्ध की गई। अनुसंधान के दौरान दिनांक 12/04/2022 को ही अभियुक्त इबादत अली, सादिक, अब्दुल्ला, साहेब उर्फ शाहिब, शेरयार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामें (प्रदर्श पी–08 लगायत पी–12) तैयार किये गए, दिनांक 12/04/2022 को ही फरियादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका (प्रदर्श पी–02) तैयार किया गया, दिनांक 12/04/2022 को ही फरियादी श्याम, बृजेश, रोहित, दिनेश, अभय, योगेश की निशादेही पर नुकसानी पंचनामा (प्रदर्श पी–13, पी–14, पी–15, पी–21, पी–33) तैयार किये गए।

(viii) अनुसंधान के दौरान दिनांक 12/04/2022 को ही घटना स्थल फरियादी श्याम के मकान से साम्प्रदायिक दंगे में जला हुआ पदार्थ व बाटल कांच के टुकड़े जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–03) तैयार किया गया, दिनांक 12/04/2022 को ही घटना स्थल पीड़ित गोकुलदास के मकान से जला हुआ पदार्थ व बाटल कांच के टुकड़े जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–04) तैयार किये गए, दिनांक 12/04/2022 को ही घटना स्थल पीड़ित रोहित के मकान

Scanned with OKEN Scanner

से जला हुआ पदार्थ व कांच के टुकड़े जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया, दिनांक 12/04/2022 को ही घटना स्थल पीड़ित दिनेश के मकान से बाटल कांच के टुकड़े जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–26) तैयार किया गया, दिनांक 12/04/2022 को ही घटना स्थल पीड़ित योगेश के घर से पत्थर व कांच के टुकड़े जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–32) तैयार किया गया।

(ix) अनुसंधान के दौरान दिनांक 13/04/2022 को अभियुक्त फैजल, आजम, शब्बीर, इमरान, मुस्ताक, राजिक को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श पी–42 लगायत पी–47) तैयार किये गए, दिनांक 26/04/2022 को फरियादी श्याम द्वारा प्रस्तुत करने पर घटना स्थल श्याम, गोकुलदास, रोहित, दिनेश, अभय व योगेश के घर के फोटोग्राफ व पेनड्राइव जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–20) तैयार किया गया, दिनांक 31/05/2022 को चश्मदीद साक्षी वैष्णवी द्वारा प्रस्तुत करने पर घटना दिनांक 10/04/2022 को उसके मोबाईल पर बनाये गए वीडियो की सी.डी. व धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–28) तैयार किया गया, दिनांक 29/05/2022 को प्रकरण में घटना स्थल से जप्त पेट्रोल बम की कांच की बोतल के टुकड़े व जला हुआ अवशेष (राख) जांच हेतु पुलिस अधीक्षक, खरगोन के ड्राफ्ट (प्रदर्श पी–54) के माध्यम से राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सिविल लाईन, सागर भेजे गए, जहॉ से जॉच रिपोर्ट (प्रदर्श पी–56) प्राप्त हुई।

(x) अनुसंधान के दौरान कथित घटना कांच की बोतलों में पेट्रोल भरकर बम बनाकर कारित की जाने से प्रभारी बी.डी.डी.एस., खरगोन से उनका क्वेरी अभिमत दिनांक 26/06/2022 (प्रदर्श पी–52) प्राप्त किया गया, अभियुक्तगण के विरूद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अपराध के संबंध में जिला दण्डाधिकारी, खरगोन से अभियोजन स्वीकृति दिनांक 06/07/2022 प्राप्त की गयी, दिनांक 09/07/2022 को फरियादी द्वारा पेश करने पर उसकी बाईक का रजिस्ट्रेशन कार्ड, गोकुलदास की मोटर साइकिल के रजिस्ट्रेशन कार्ड की छायाप्रति एवं अभय की मोटर साइकिल जो कि हर्षल के नाम पर पंजीकृत

Scanned with OKEN Scanner

है, का रजिस्ट्रेशन कार्ड व उसकी छायाप्रति जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–06) तैयार किया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गए, सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात् पुलिस थाना खरगोन, जिला खरगोन द्वारा उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 436, 435, 427, 336, 450, 120बी भा.द.सं., 1860 एवं धारा 3, 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत अभियोग–पत्र संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उपार्पण आदेश दिनांक 14/07/2022 के माध्यम से माननीय सत्र न्यायालय, मण्डलेश्वर को उपार्पित किया गया, वहाँ से विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

03 :– पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 148, 336 सहपठित धारा 149, 427 सहपठित धारा 149, 435 सहपठित धारा 149, 436 सहपठित धारा 149 व 450 भा.द.सं. एवं धारा 3 सहपठित धारा 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत आरोप विरचित किये गए, उन्होंने अपराध अस्वीकार किया। अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्य एवं परिस्थितियों के सम्बन्ध में धारा 313 द.प्र.सं. के तहत अभियुक्तगण का परीक्षण किए जाने पर उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूंठा फंसाया गया है, अभियुक्तगण ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

04 :– प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार हैं :–

(01) क्या कथित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने एक–दूसरे के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बलवा कारित किया ?

(02) क्या कथित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने घातक आयुधों या अन्य किसी आक्रामक आयुध से सुसज्जित होकर बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया ?

(03) क्या कथित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने अपने

Scanned with OKEN Scanner

सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी श्याम, रोहित, योगेश, अभय, गोकुलदास एवं दिनेश के मकान, वाहनों एवं अन्य सामान में तोड़–फोड़ कर उन्हें रूपये 50/– से अधिक की रिष्टि कारित की ?

(04) क्या कथित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी श्याम, रोहित, योगेश, अभय, गोकुलदास एवं दिनेश के मकान, वाहनों एवं अन्य सामान को नष्ट करने के आशय से उनके मकान एवं वाहनों के ऊपर पेट्रोल बम फेंककर या आग लगाकर उन्हें रूपये 100/– से अधिक की रिष्टि कारित की ?

(05) क्या कथित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी श्याम, रोहित, योगेश, अभय, गोकुलदास एवं दिनेश के निवासीय मकानों व सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान को अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा नष्ट करने के आशय से उनके मकान एवं वाहनों के ऊपर पेट्रोल बम फेंककर या आग लगाकर रिष्टि कारित की ?

(06) क्या कथित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी श्याम, रोहित, योगेश, अभय, गोकुलदास एवं दिनेश के आवासीय मकान में आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया ?

(07) क्या कथित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी श्याम, रोहित, योगेश, अभय, गोकुलदास एवं दिनेश के मकान एवं वाहनों पर विस्फोटक पदार्थ पेट्रोल बम इत्यादि फेंककर उनके जीवन को खतरे में डाला या उनकी सम्पत्ति को गम्भीर क्षति पहुॅचायी ?

Scanned with OKEN Scanner

(08) क्या कथित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने स्वयं या एक–दूसरे के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में पत्थर व ईंट से आमजन पर पत्थरबाजी कर उनका जीवन संकटापन्न किया ?

:: निष्कर्ष के आधार ::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 08 :

05 :– तथ्यों व साक्ष्य का दोहराव न हो, इसलिए सुविधा की दृष्टि से उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों पर एक–साथ विचार किया जा रहा है।

06 :– फरियादी श्याम महाजन (अ.सा.–01) ने सारतः यह बताया है कि घटना दिनांक को उसके भाटवाड़ी मोहल्ले में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आगजनी की घटना कारित की गई थी, जिससे उसके घर के कांच टूट गए थे, उसके छोटे भाई अक्षय महाजन की मोटर साइकिल क्रमांक एम.एच.12,आर.बी.–1940 पूरी तरह जल गई थी, तब उसने लिखित शिकायत (प्रदर्श पी–01) थाने पर की थी। साक्षी के उक्त कथन को बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है।

07 :– साक्षी गोकुल महाजन (अ.सा.–02) के अनुसार घटना दिनांक 10/04/2022 को वह सेगांव में अपनी दुकान पर था, तब शाम करीब 06:00 बजे उसके पुत्र बृजेश ने उसे सूचना दी थी कि मुस्लिम समाज के दंगाईयों द्वारा भाटवाड़ी मोहल्ले में स्थित उनके घर पर तोड़फोड़ कर दी है, घर पर सामान टी.व्ही. व मोटर साइकिल का नुकसान हो गया है, घर के खिड़की व दरवाजों के कांच तोड़ दिये हैं, उसी दिन शाम को वह घर पर आया था। साक्षी के उक्त कथन को बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है।

08 :– साक्षी रोहित (अ.सा.–03) के अनुसार घटना दिनांक को वह एम.जी. रोड़, खरगोन पर अपनी दुकान पर व्यवसाय कर रहा था, शाम 06:00 बजे

Scanned with OKEN Scanner

रामनवमी जुलुस के दौरान भगदड़ हो गई थी, बाद में उसे जानकारी मिली थी कि उनके भाटवाड़ी मोहल्ले में मुस्लिम समाज के दंगाईयों द्वारा लोगों के घरों में तोड़फोड़ कर दी है, उसके घर में रखे सामान टी.व्ही., मोटर साइकिल को भी नुकसान हो गया, दंगाईयों ने उसके घर के खिड़की, दरवाजे एवं उनके कांच भी तोड़ दिये, जिसकी शिकायत उसके पिता द्वारा की गई। साक्षी के उक्त कथन को बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है।

09 :– साक्षी बृजेश महाजन (अ.सा.–04) के अनुसार घटना दिनांक को वह सेगांव में अपनी दुकान पर था, उसे शाम को मोहल्लेवालों से जानकारी मिली थी कि भाटवाड़ी मोहल्ले में पत्थरबाजी हो गई है, बाद में वह अपने घर खरगोन आया तो देखा कि कुछ दंगाई लोगों ने उसके घर का दरवाजा, बिजली का मीटर, खिड़की का कांच, एलीवेशन की फर्शी, टी.व्ही., घर का सामान सोफा, किराना सामान, हेलमेट, मकान आदि में तोड़फोड़ की थी, उसका अनाज का सामान पूरी तरह जल गया था, जिसमें करीब ढाई–तीन लाख रूपये का नुकसान हुआ था, पुलिस घटना स्थल पर आई थी व जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–04) व नुकसानी पंचनामा (प्रदर्श पी–14 व पी–15) बनाये थे, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के उक्त कथन को बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है।

10 :– साक्षी अभय (अ.सा.–05) ने भी यह बताया है कि घटना दिनांक को वह अपनी दुकान पर था, उसे मोहल्लेवालों से जानकारी मिली थी कि भाटवाड़ी मोहल्ले में दंगाई लोगों ने उसके घर के बाहर खड़ी मोटर साइकिल में आग लगाकर नुकसान किया है, मोहल्ले के अन्य निवासियों के मकान में भी तोड़फोड़ कर आग लगा दी है, तब उसने लिखित शिकायत (प्रदर्श पी–25) की थी, पुलिस ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–26) व नुकसानी पंचनामा (प्रदर्श पी–21 व पी–23) बनाया था। साक्षी के उक्त कथन को बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है।

Scanned with OKEN Scanner

11 :– साक्षी वैष्णवी जैन (अ.सा.–06) ने यह बताया है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने दोपहर 03:00 बजे उसके घर के सामने स्थित घरों पर पत्थर फेंककर खिडकियॉ तोड़ दी थी और चले गए थे, बाद में शाम 06:30–07:00 बजे आए थे, अभियुक्तगण के हाथ में तलवार, डण्डे, पेट्रोल बम, पत्थर इत्यादि थे, अभियुक्तगण ने मोहल्ले में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगाना प्रारम्भ कर दिया था, घर के दरवाजे तोड़ना प्रारम्भ कर दिया था, उसके घर का मुख्य दरवाजा भी तोड़ दिया था, दरवाजा तोड़ने के बाद अभियुक्तगण उनके घर में घुस गए थे। घटना दिनांक को साक्षी के घर पर आगजनी व तोड़फोड़ की घटना होने के बिन्दु पर साक्षी का प्रतिपरीक्षण में कोई खण्डन नहीं हुआ है।

12 :– साक्षी दिनेश जैन (अ.सा.–07) ने भी यह बताया है कि घटना दिनांक को दंगाई लोगों ने उसके घर पर पत्थर व पेट्रोल बम फेंक दिये थे, जिसमें उसके घर में आग लग गई थी, घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा जल गया था, साक्षी के इस कथन का भी प्रतिपरीक्षण में कोई खण्डन नहीं हुआ है।

13 :– साक्षी अक्षय महाजन (अ.सा.–08) के अनुसार घटना के समय वह इंदौर में था, उसे उसके भाई श्याम महाजन ने फोन पर बताया था कि घर में आगजनी व पत्थरबाजी हुई है, जिसमें यामाहा गाड़ी जल गई है। साक्षी के इस कथन का प्रतिपरीक्षण में कोई खण्डन नहीं हुआ है।

14 :– साक्षी हर्षल कंठाल्या (अ.सा.–09) के अनुसार घटना दिनांक को वह वृन्दावन कॉलोनी, खरगोन में था, उसे उसके भाई अभय ने फोन करके बताया था कि शाम करीब 06:00 बजे घर पर आगजनी व पत्थरबाजी हुई है, जिसमें मोटर साइकिल जल गई है। साक्षी के इस कथन का भी प्रतिपरीक्षण में कोई खण्डन नहीं हुआ है।

15 :– साक्षी आकाश जैन (अ.सा.–10) ने भी यह बताया है कि घटना दिनांक को सूचना मिलने पर वह घर पहुॅचा तो उसने देखा कि कुछ लोगों ने

Scanned with OKEN Scanner

उसके घर पर पथराव किया था, जिससे घर के सागवान के दरवाजे, सी.सी.टी.वी. कैमरे में तोड़फोड़ कर नुकसान कर दिया था। साक्षी के उक्त कथन को बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है।

16 :– साक्षी योगेश सराफ (अ.सा.–12) अनुसार घटना दिनांक को वह इंदौर में था, उसे मोबाईल पर सूचना प्राप्त हुई थी कि घटना दिनांक को भाटवाड़ी मोहल्ला खरगोन में पत्थरबाजी हो गई थी, जिसमें उसके घर की खिड़कियों के कांच टूट गए थे व करीब रूपये दस हजार का नुकसान हुआ था। साक्षी के उक्त कथन को बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है।

17 :– अनुसंधान अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक पूजा मोरे (अ.सा.–13) ने अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका (प्रदर्श पी–02) बनाना, फरियादी श्याम के मकान से जले हुए पदार्थ व कांच के टूकड़े जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–03) बनाना, फरियादी गोकुलदास के मकान से जले हुए पदार्थ व कांच के टुकड़े जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–04) बनाना, फरियादी रोहित के मकान से जले हुए पदार्थ व कांच के टुकड़े जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–05) बनाना, फरियादी दिनेश के मकान से जले हुए पदार्थ व कांच के टुकड़े जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–26) बनाना, फरियादी योगेश के मकान से जले हुए पदार्थ व कांच के टुकड़े जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–32) बनाना, फरियादी श्याम, बृजेश, रोहित, दिनेश, अभय व योगेश के भाटवाड़ी मोहल्ला, खरगोन स्थित घर पर पहुँचकर नुकसानी पंचनामा (प्रदर्श पी–13, पी–14, पी–15, पी–23, पी–21 व पी–33) बनाना बताया है। साक्षी के उक्त कथन का भी प्रतिपरीक्षण में कोई खण्डन नहीं हुआ है।

18 :– इस प्रकार प्रकरण में उक्त उल्लेखित साक्षियों के अखण्डनीय व निर्विवादित कथनों तथा घटना स्थल पर बनाये गए जप्ती पत्रकों एवं नुकसानी पंचनामों से यह तो सन्देह से परे प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक

Scanned with OKEN Scanner

10/04/2022 को शाम करीब 06–07:00 बजे के मध्य मुस्लिम समाज के कुछ दंगाइयों द्वारा भाटवाड़ी मोहल्ला खरगोन स्थित पूर्व उल्लेखित शिकायतकर्ताओं/फरियादीगण के मकानों व अन्य मकानों पर हमला करते हुए वहॉ पत्थरबाजी एवं आगजनी कर लोगों के घरों के खिड़की, दरवाजे तोड़ दिये थे, दरवाजों में आग लगा दी थी, घर के बाहर खड़ी मोटर साइकिल आदि सम्पत्तियों में तोड़फोड़ व आगजनी कर उन्हें क्षति पहुॅचायी थी, घर के अन्दर रखे सामान में भी तोड़फोड़ व आगजनी की थी, जिससे लोगों के घरों में रखे कई सामानों को गम्भीर क्षति पहुॅची थी, लोगों को लाखों रूपये का नुकसान हुआ था। इस प्रकार कई दंगाइयों ने अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में अग्नि आदि से फरियादीगण सहित कई लोगों के घरों व घरों में रखी सम्पत्ति को नुकसान कर रिष्टि कारित की थी। उक्त तथ्य को बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है।

19 :– प्रकरण में अब मुख्य विचारणीय बिन्दु यही है कि क्या घटना दिनांक को अभियुक्तगण या उनमें से किसी ने अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कथित अग्नि, पत्थरबाजी आदि से लोगों के घरों व सामान को नुकसान पहुॅचाकर रिष्टि कारित की एवं गृहअतिचार कारित किया था ?

20 :– प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 13 साक्षीगण का परीक्षण कराया गया है। इन 13 साक्षीगण में से साक्षी सोम बजाज (अ.सा.–11) व अनुसंधान अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक पूजा मोरे (अ.सा.–13) घटना के प्रत्यक्ष व चश्मदीद साक्षी नहीं है। शेष 11 साक्षीगण का परीक्षण अभियोजन की ओर से प्रत्यक्ष व चश्मदीद साक्षी के रूप में कराया गया है। इन 11 साक्षीगण में से भी साक्षी श्याम महाजन (अ.सा.–01), गोकुल महाजन (अ.सा.–02), रोहित (अ.सा. –03), बृजेश महाजन (अ.सा.–04), अभय कंठाल्या (अ.सा.–05), अक्षय महाजन (अ.सा.–08), हर्षल कंठाल्या (अ.सा.–09) व योगेश सराफ (अ.सा.–12), इन 08 साक्षियों ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है, इन 08 साक्षीगण में से किसी भी साक्षी ने किसी भी अभियुक्त को नहीं पहचाना है, किसी भी अभियुक्त

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा कोई घटना कारित करना नहीं बताया है, इनके कथनों में किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई सारभूत साक्ष्य नहीं आई है, इन आठों साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई सारभूत तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए उक्त 08 साक्षीगण के कथन से अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता किसी भी रूप में प्रकट या प्रमाणित नहीं होती है।

21 :– अभियोजन की ओर से परीक्षित 13 साक्षीगण में से शेष 03 साक्षी वैष्णवी जैन (अ.सा.–06), दिनेश जैन (अ.सा.–07) व आकाश जैन (अ.सा.–10), एक ही परिवार के सदस्य होकर साक्षी वैष्णवी जैन व आकाश जैन सगे भाई–बहन है और साक्षी दिनेश जैन उनके पिता है, अब इन तीन साक्षीगण के कथनों पर विचार किया जा रहा है।

22 :– साक्षी आकाश जैन (अ.सा.–10) के अनुसार घटना के समय वह अनाज मण्डी खरगोन में था, घटना दिनांक को शाम करीब 06:00 बजे उसकी माता कविता जैन का उसके पास फोन आया और उसकी माता ने उसे बताया कि घर के बाहर कुछ लोगों द्वारा पथराव किया जा रहा है, इसके 10–15 मिनट बाद वह अपने घर भाटवाड़ी मोहल्ले में पहुॅचा, तो देखा कि 04–05 लोग जिनके मुॅह पर कपड़ा बंधा हुआ था, उन्होंने उसे घेरा तो उसके परिवारवाले उसको खींचकर घर के अन्दर ले गए थे, इसके बाद कुछ लोगों ने घर पर पथराव किया और उसके घर के दरवाजे, सीसीटीवी कैमरे में तोड़फोड़ की। साक्षी के अनुसार जिन लोगों ने उसके घर पर उक्त घटना की, उन्हें वह नहीं पहचानता, क्योंकि वह उनका चेहरा नहीं देख पाया था, उनके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, जिससे अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त हो। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन में भी अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई सारभूत तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, इस साक्षी के कथन से भी अभियुक्तगण की पहचान प्रमाणित नहीं होती है।

Scanned with OKEN Scanner

23 :– साक्षी दिनेश जैन (अ.सा.–07) ने अपने कथन चरण 01 में न्यायालय में उपस्थित सभी 11 अभियुक्तगण का चेहरा देखकर बताया कि वह इन्हें चेहरे से जानता है, किन्तु इस साक्षी ने ऐसा कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किया है कि इन 11 अभियुक्तगण में से किसी विनिर्दिष्ट अभियुक्त ने घटना दिनांक को उसके घर पर या भाटवाड़ी मोहल्ले में कोई घटना कारित की है। किसी साक्षी द्वारा अभियुक्तगण को पहचानने मात्र से ही अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता प्रमाणित नहीं मानी जा सकती, जब तक कि साक्षी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से यह प्रकट न किया जावे कि वह जिसे पहचानता है, वह व्यक्ति अपराध करनेवालों में शामिल रहा है।

24 :– उक्त साक्षी दिनेश जैन (अ.सा.–07) स्वयं ने अपने कथन चरण 02 में यह बताया है कि घटना दिनांक को वह अपने घर से थोड़ी दूरी पर था, उसकी पत्नी कविता, पुत्री वैष्णवी, श्रद्धा जैन, उसका पुत्र आकाश व बड़ा भाई राकेश घर पर थे, दोपहर करीब 01:30–02:00 बजे भाटवाड़ी मोहल्ले में दंगाई लोगों ने पत्थरबाजी की थी, कथन चरण 03 में साक्षी ने बताया है कि घटना के समय उसने दूर से देखा तो दंगाई लोग उसके घर पर पत्थर व पेट्रोल बम फेंक रहे थे, जिससे उसके घर में आग लग गई, उसके घर का लकड़ी का दरवाजा जल गया, फिर मोहल्ले के लोग गोवर्धननाथ मंदिर चले गए थे।

25 :– उक्त साक्षी दिनेश जैन (अ.सा.–07) को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गए एवं स्वयं अपर लोक अभियोजक द्वारा साक्षी को कथन चरण 07 में यह सुझाव दिया कि दंगाई लोगों के मुँह पर कपड़े बंधे थे, जिसे इस साक्षी ने स्वीकार किया। उक्त सुझाव के माध्यम से स्वयं अभियोजन द्वारा यह प्रकट करने का प्रयास किया गया कि दंगाई लोगों के मुँह पर कपड़े बंधे थे।

26 :– साक्षी दिनेश जैन (अ.सा.–07) ने अपने प्रतिपरीक्षण चरण 11 में यह बताया कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण दिन में करीब ढाई–तीन बजे

Scanned with OKEN Scanner

पत्थर फेंककर चले गए थे, इसके बाद अभियुक्तगण पुनः एक भीड़ के रूप में उसके घर आए थे और शाम को उसके घर पर हमला किया था, भीड़ में लगभग 50 लोग थे, उसने अभियुक्तगण को सामने से नहीं देखा था, बल्कि 500–600 मीटर दूर से देखा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण चरण 12 में बताया है कि दोपहर करीब ढाई–तीन बजे उसके घर पर पत्थर फेंके गए थे, इसके बाद वह घर के बाहर निकल गया था और एक घण्टे बाद भीड़ उसके घर पर आई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण चरण 13 में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण उसके घर के आस–पास नहीं रहते हैं, प्रतिपरीक्षण चरण 15 में यह स्वीकार किया है कि घटना के पूर्व उसका अभियुक्तगण से कोई व्यक्तिगत मिलना–झुलना नहीं रहा है, प्रतिपरीक्षण चरण 16 में यह बताया है कि वह नहीं बता सकता कि उसके घर पर दरवाजा किसने जलाया, किसने पत्थर फेंके थे और किसने लूटपाट की थी।

27 :– यद्यपि इस साक्षी दिनेश जैन के प्रतिपरीक्षण चरण 11 में 'अभियुक्तगण' शब्द आया है, किन्तु यह एक सामान्य कथन के रूप में प्रकट हुआ है, इस शब्द के माध्यम से साक्षी ने प्रश्नगत 11 अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करना नहीं बताया है। वास्तव में साक्षी के कथन से मामले में किसी भी अभियुक्त की कोई विनिर्दिष्ट पहचान प्रमाणित नहीं होती है। यदि इस साक्षी के कथन पर समग्रता से विचार किया जावे तो घटना के समय को लेकर साक्षी के कथन में विरोधाभास प्रकट हुआ है, साक्षी ने कथन चरण 02 में घटना दोपहर डेढ़–दो बजे की बतायी है, कथन चरण 11 में दिन में ढाई–तीन बजे व शाम के समय की बतायी है व कथन चरण 12 में दिन में ढाई–तीन बजे व उसके एक घण्टे बाद की बतायी है।

28 :– साक्षी दिनेश जैन ने अपने मुख्य परीक्षण की चरण संख्या 02 में ही यह बताया है कि घटना के समय वह अपने घर से थोड़ी दूरी पर था, चरण चरण 03 में बताया है कि उसने घटना को दूर से देखा था, प्रतिपरीक्षण चरण 11 में यह बताया है कि उसने अभियुक्तगण को सामने से नहीं देखा था, बल्कि

Scanned with OKEN Scanner

500–600 मीटर दूर से देखा था। इस प्रकार साक्षी के कथन से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि घटना के समय साक्षी घर पर नहीं था, अपितू घर से काफी दूर था, उसने किसी भी अभियुक्त को सामने से नहीं देखा था, अर्थात उसने किसी भी अभियुक्त का चेहरा नहीं देखा था, उसने अभियुक्तगण को 500–600 मीटर दूर से देखना बताया है। सामान्यतः 500–600 मीटर की दूरी से भीड़ के लोगों को यदि पीछे से देखा जावे तो, सामान्यतः उन्हें पीछे से पहचाना नहीं जा सकता है। साक्षी का अभियुक्तगण से घटना दिनांक के पूर्व से कोई व्यक्तिगत परिचय या मिलना–झुलना भी नहीं रहा है, इसलिए इस साक्षी द्वारा 500–600 मीटर दूर से अभियुक्तगण को पीछे से देखकर उन्हें पहचान लिया हो, यह तथ्य स्वाभाविक, संतोषप्रद व विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, साथ ही इस साक्षी ने कथन चरण 07 में यह भी स्वीकार किया है कि दंगाई लोगों के मुॅह पर कपड़े बंधे थे। इस प्रकार अभियुक्तगण की विनिर्दिष्ट पहचान के संबंध में इस साक्षी के कथन में कोई भी सारभूत तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, अभियुक्तगण की पहचान के संबंध में साक्षी के कथन में सारभूत विरोधाभास व विसंगति प्रकट हुई है। अतः उक्त साक्षी के कथन से भी प्रकरण में प्रश्नगत 11 अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती है।

29 :– साक्षी वैष्णवी जैन (अ.सा.–06) ने अपने कथन चरण 01 में न्यायालय में उपस्थित सभी 11 अभियुक्तगण को देखकर बताया कि वह इन्हें नाम से नहीं जानती है, वह इन 11 अभियुक्तगण को केवल चेहरे से पहचानती है, साक्षी ने अभियुक्तगण को देखकर कथन चरण 02 में यह बताया है कि अभियुक्तगण उसी के मोहल्ले के रहने वाले हैं। साक्षी ने घटना के संबंध में अपने कथन चरण 02 में यह बताया है कि घटना दिनांक को दोपहर करीब 03:00 बजे अभियुक्तगण ने भाटवाड़ी मोहल्ले में उसके घर के सामने स्थित कुछ घरों पर पत्थर फेंककर वहॉ की खिड़कियॉ तोड़ दी थी, इसके बाद अभियुक्तगण वापस चले गए थे, कथन चरण 03 में बताया है कि इसके बाद अभियुक्तगण अजान के बाद शाम करीब 06:30–07:00 बजे फिर से आए थे,

Scanned with OKEN Scanner

उनके हाथ में तलवार, डण्डे, पेट्रोल बम, पत्थर इत्यादि थे, अभियुक्तगण ने मोहल्ले में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगाना प्रारम्भ कर दिया था, लोगों के घर के दरवाजे तोड़ना प्रारम्भ कर दिया था, उनके घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा भी अभियुक्तगण ने तोड़ दिया था, अभियुक्तगण उसके घर में घुस गए थे, उस समय घर में उसके अतिरिक्त उसकी माता कविता व श्रद्धा भी थी, उसने अपना मोबाईल कैमरा चालू कर लिया था, तब अभियुक्तगण वहॉ से बाहर चले गए थे, इसके बाद उसका भाई आकाश जैन घर पर आया तो अभियुक्तगण ने उसे बाहर ही पकड़ लिया था और वह जब बाहर जाकर मोबाईल से रिकार्ड करने लगी तो अभियुक्तगण उसके भाई को छोड़कर वहॉ से भाग गए थे।

30 :– इस प्रकार साक्षी वैष्णवी जैन (अ.सा.–06) ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रश्नगत 11 अभियुक्तगण द्वारा ही घटना दिनांक को उसके घर पर घटना कारित करना बताया है। अभियोजन की उक्त एकमात्र साक्षी ने ही अभियुक्तगण की प्रश्नगत अपराध में संलिप्तता प्रकट की है, अभियोजन के अन्य किसी साक्षी ने अभियुक्तगण की कोई संलिप्तता प्रकट नहीं की है।

31 :– इस प्रकार प्रकरण में साक्षी वैष्णवी जैन (अ.सा.–06) ही एकमात्र न्यायालय के समक्ष चश्मदीद साक्षी के रूप में प्रकट हुई है, किन्तु बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण का तर्क है कि उक्त साक्षी भी घटना की चश्मदीद साक्षी नहीं है, पुलिस ने साक्षी के धारा 161 द.प्र.सं. के कथन घटना दिनांक 10/04/2022 से 51 दिन बाद दिनांक 31/05/2022 को लेखबद्ध किये गए थे, इस साक्षी ने न्यायालय में किसी भी अभियुक्त की विनिर्दिष्ट भूमिका प्रकट नहीं की है, एक सामान्य अभियुक्तगण शब्द का उपयोग किया है, अनुसंधान के दौरान साक्षी से अभियुक्तगण की कोई पहचान कार्यवाही नहीं करवायी गई है, साक्षी ने न्यायालय में अभियुक्तगण को चेहरे से पहचानने की जो बात बतायी है, वह पूर्णतः बनावटी है, इस साक्षी व उसके पिता व भाई के कथनों में भी सारवान् विरोधाभास प्रकट हुआ है, साक्षी के पिता व भाई ने दंगाईयों द्वारा मुॅह

Scanned with OKEN Scanner

पर कपड़े बांधना बताया है, कोई भी अभियुक्त साक्षी के मोहल्ले का निवासी नहीं है, कोई भी अभियुक्त साक्षी से पूर्व से परिचित नहीं रहा है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में साक्षी का नाम चश्मदीद साक्षी के रूप में नहीं है, इसलिए साक्षी के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

32 :– यह सुस्थापित विधि है कि किसी भी मामले को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती है, अपितू साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। यदि एकमात्र साक्षी के कथन भी स्वाभाविक, संतोषप्रद व पूर्णतः विश्वसनीय प्रतीत होते हो तो एकमात्र साक्षी के कथन के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **Vadivelu Thevar vs The State Of Madras, AIR 1957 SC 614** में एकमात्र साक्षी के कथन के साक्ष्यिक मूल्य पर विश्लेषण करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि :–

> "In view of these considerations, we have no hesitation in holding that the contention that in a murder case, the court should insist upon plurality of witnesses, is much too broadly stated. Section 134 of the Indian Evidence Act has categorically laid it down that " no particular number of witnesses shall in any case be required for the proof of any fact." The legislature determined, as long ago as 1872, presumably after due consideration of the pros and cons, that it shall not be necessary for proof or disproof of a fact, to call any particular number of witnesses. In England, both before and after the passing of the Indian Evidence Act, 1872, there have been a number of statutes as set out in Sarkar's I Law of Evidence -9th Edition, at pp. 1 100 and 1 101, forbidding convictions on the testimony of a single witness. The Indian Legislature has not insisted on laying down any such exceptions to the general rule recognized in s. 134 quoted above. The section enshrines the well recognized maxim that " Evidence has to be weighed and not counted". Our Legislature has given statutory recognition to the

Scanned with OKEN Scanner

fact that administration of justice may be hampered if a particular number of witnesses were to be insisted upon. It is not seldom that a crime has been committed in the presence of only one witness, leaving aside those cases which are not of uncommon occurrence, where determination of guilt depends entirely on circumstantial evidence. If the Legislature were to insist upon plurality of witnesses, cases where the testimony of a single witness only could be available in proof of the crime, would go unpunished. It is here that the discretion of the presiding judge comes into play. The matter thus must depend upon the circumstances of each case and the quality of the evidence of the single witness whose testimony has to be either accepted or rejected. If such a testimony is found by the court to be entirely reliable, there is no legal impediment to the conviction of the accused person on such proof. Even as the guilt of an accused person may be proved by the testimony of a single witness, the innocence of an accused person may be established on the testimony of a single witness, even though a considerable number of witnesses may be forthcoming to testify to the truth of the case for the prosecution. Hence, in our opinion, it is a sound and well-established rule of law that the court is concerned with the quality and not with the quantity of the evidence necessary for, proving or disproving a fact. Generally speaking, oral testimony in this context may be classified into three categories, namely:

(1) Wholly reliable.

(2) Wholly unreliable.

(3) Neither wholly reliable nor wholly unreliable.

In the first category of proof, the court should have no difficulty in coming to its conclusion either way-it may convict or may acquit on the testimony of a single witness, if it is found to be above reproach or suspicion of interestedness, incompetence or subornation. In the second

Scanned with OKEN Scanner

category, the court, equally has no difficulty in coming to its conclusion. It is in the third category of cases, that the court has to be circumspect and has to look for corroboration in material particulars by reliable testimony, direct or circumstantial."

33 :– उक्त विधिक स्थिति के आलोक में यदि इस मामले में साक्षी वैष्णवी जैन (अ.सा.–06) के कथन पर विचार किया जावे तो इस साक्षी ने अपने न्यायलयीन कथन में अभियुक्तगण को केवल चेहरे से पहचानना बताया है, सभी 11 अभियुक्तगण के संबंध में सामान्य कथन किये हैं, किसी भी अभियुक्त की किसी विनिर्दिष्ट भूमिका को प्रकट नहीं किया है, बल्कि सभी की सामान्य भूमिका प्रकट की है। साक्षी ने अपने कथन चरण 02 में बताया है कि दोपहर करीब तीन बजे अभियुक्तगण ने उसके घर के सामने स्थित कुछ घरों पर पत्थर फेंककर वहॉ की खिड़कियॉ तोड़ दी थी और वहॉ से चले गए थे, अर्थात साक्षी ने घटना दिनांक को दिन में तीन बजे भी प्रश्नगत 11 अभियुक्तगण द्वारा उसके घर के सामने तोड़फोड़ करना बताया है, किन्तु इसी साक्षी ने प्रतिपरीक्षण चरण 17 में यह बताया है कि घटना दिनांक को शाम चार बजे तीन–चार लोग अन्य घरों में आए थे और पत्थर फेंककर चले गए थे, जिन लोगों ने पत्थर मारे थे, उनको उसने पत्थर मारते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार दिन की घटना के संबंध में साक्षी के कथन में न केवल समय में विरोधाभास प्रकट हुआ है, अपितू अभियुक्तगण की पहचान व संख्या के संबंध में भी सारवान् विरोधाभास प्रकट हुआ है।

34 :– साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण चरण 13 में अभियुक्तगण की पहचान का आधार यह प्रकट किया है कि अभियुक्तगण उसके मोहल्ले की पान की दुकान, पंचर की दुकान व मोहल्ले के चौक पर आकर बैठे रहते हैं, इसलिए उन्हें उसने वहॉ बैठे हुए देखा है, प्रतिपरीक्षण चरण 12 में अभियुक्त अब्दुल्ला व अभियुक्त साहेब की पहचान इस रूप में की है कि दोनों अभियुक्तगण उसके

Scanned with OKEN Scanner

मोहल्ले में सब्जी बेचते हैं, कथन चरण 05 में यह भी बताया है कि अभियुक्तगण उसके मोहल्ले में आते–जाते रहते थे, साक्षी ने अपने कथन चरण 02 में बताया है कि अभियुक्तगण उसके मोहल्ले के रहने वाले हैं। अभिलेख से प्रकट होता है कि साक्षी भाटवाड़ी मोहल्ला, खरगोन में रहती है, जबकि अभियुक्तगण मियामान मोहल्ला व कलाली मोहल्ला, खरगोन में निवास करते हैं, अर्थात अभियुक्तगण साक्षी के मोहल्ले के नहीं है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण चरण 15 में बताया है कि अभियुक्तगण उसके घर के पीछे वाली गली में रहते हैं, अर्थात सभी अभियुक्तगण का एक ही गली में रहना बताया है, किन्तु इसी चरण में आगे बताया है कि उसे नहीं पता कि अभियुक्त इबादत अली, सादिक, अब्दुल्ला, साहेब उर्फ साहिब व नौशाद, मियामान मोहल्ला में रहते हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण चरण 16 में बताया है कि कलाली मोहल्ला उसके मोहल्ले के पास ही है, साक्षी ने प्रतिपरीक्षण चरण 19 में यह भी बताया है कि अभियुक्तगण के अतिरिक्त घटना के समय और भी कई लोग उपस्थित थे, प्रतिपरीक्षण चरण 26 में यह भी स्वीकार किया है कि उसके घर से पान की दुकान व पंचर की दुकान दिखायी नहीं देती है, उसके घर के पास पान की दुकान व पंचर की दुकान नहीं है।

35 :– इस प्रकार साक्षी किसी भी अभियुक्त को नाम से नहीं जानती है, कोई भी अभियुक्त उसके मोहल्ले का नहीं है, अपितू पास में लगे कलाली मोहल्ला व मियामान मोहल्ले के हैं। साक्षी ने अभियुक्तगण को पान की दुकान, पंचर की दुकान व चौराहे पर देखना बताया है, किन्तु साक्षी के घर के ठीक पास में कोई पान की दुकान, पंचर की दुकान नहीं है, वास्तव में अभियुक्तगण में से कौन सा अभियुक्त किस मोहल्ले में निवास करता है, यह भी इस साक्षी को विनिर्दिष्ट रूप से पता नहीं है, इसलिए इस साक्षी ने पहचान का जो आधार बताया है, वह ठोस नहीं है।

36 :– इस साक्षी ने अपने कथन चरण 02 व प्रतिपरीक्षण चरण 17 में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने दिन में करीब तीन–चार बजे उसके घर

Scanned with OKEN Scanner

के सामने स्थित घरों में पत्थर फेंककर खिड़कियॉ तोड़ी थी, अर्थात साक्षी ने ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण ने दिन में उसके घर पर पत्थर फेंके हो, किन्तु साक्षी के पिता दिनेश जैन (अ.सा.–07) ने अपने कथन चरण 02 व प्रतिपरीक्षण चरण 11 में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने दिन में उसके घर पर भी पत्थर फेंके थे। इस प्रकार घटना दिनांक को दिन में उक्त साक्षीगण के घर पर पत्थर फेंकने की घटना के संबंध में उक्त पिता–पुत्री के कथनों में सारवान् विरोधाभास प्रकट हुआ है।

37 :– साक्षी वैष्णवी जैन (अ.सा.–06) ने अपने कथन चरण 03 में बताया है कि घटना के समय उसका भाई आकाश जैन घर पर आया था तो अभियुक्तगण ने उसे घर के बाहर ही पकड़ लिया था और जब वह मोबाईल से रिकार्ड करने लगी तो अभियुक्तगण उसके भाई को छोड़कर वहॉ से भाग गए थे, अर्थात इस साक्षी ने घटना के समय उसके भाई आकाश जैन का मौके पर होना बताया है, किन्तु साक्षी के भाई आकाश जैन (अ.सा.–10) ने अपने कथन चरण 02 व 03 में सारतः यह बताया है कि घटना दिनांक को चार–पांच लोगों ने उसके घर पर पथराव किया था और उनके मुॅह पर भी कपड़े बंधे हुए थे, इसलिए वह उनका चेहरा नहीं देख पाया था।

38 :– इस प्रकार साक्षी वैष्णवी जैन (अ.सा.–06) ने प्रश्नगत सभी 11 अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करना बताया है, जबकि उसके भाई आकाश जैन (अ.सा.–10) ने केवल चार–पांच लोगों द्वारा ही पथराव करना बताया है। उक्त दोनों भाई–बहन साक्षीगण के कथनों में घटना कारित करने वाले व्यक्तियों की संख्या के संबंध में सारवान् विरोधाभास प्रकट हुआ है। इसी प्रकार साक्षी आकाश जैन (अ.सा.–10) ने स्पष्ट रूप से बताया है कि घटना कारित करने वाले चार–पांच लोगों के चेहरों पर कपड़ा बंधा हुआ था, इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं पाया था, साक्षी के पिता दिनेश जैन (अ.सा.–07) ने भी कथन चरण 07 में यही प्रकट किया है कि दंगाई लोगों के मुॅह पर कपड़े बंधे थे। इस प्रकार साक्षी वैष्णवी जैन के भाई आकाश जैन व पिता दिनेश जैन ने दंगाई

Scanned with OKEN Scanner

लोगों के मुँह पर कपड़ा बंधा होना बताया है, जबकि साक्षी वैष्णवी जैन ने उनको चेहरे से पहचानना बताया है, एक ही परिवार के उक्त निकट संबंधियों के कथनों में प्रकट हुए उक्त सारवान् विरोधाभास के आधार पर भी साक्षी वैष्णवी जैन के कथन सन्देहास्पद प्रतीत होते हैं।

39 :– प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी वैष्णवी जैन (अ.सा.–06) ने स्वयं को घटना का चश्मदीद साक्षी बताया है, किन्तु जिन लिखित शिकायत आवेदन पत्र (प्रदर्श पी–01, पी–17, पी–19, पी–25, पी–31 व पी–40) के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–07) लेखबद्ध की गई है, इन लिखित शिकायतों में से किसी भी शिकायत में साक्षी वैष्णवी जैन का नाम चश्मदीद साक्षी के रूप में उल्लेखित नहीं है।

40 :– प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 10/04/2022 की है और पुलिस को घटना के संबंध में उक्त लिखित शिकायत आवेदन पत्र (प्रदर्श पी–01, पी–17, पी–19, पी–25, पी–31 व पी–40) दिनांक 12/04/2022 को दिये गए हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12/04/2022 को लेखबद्ध की गई है, दो दिन विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराने का अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, दो दिन विलम्ब से दिये गए उक्त शिकायत आवेदन पत्रों में भी साक्षी वैष्णवी जैन का नाम चश्मदीद साक्षी के रूप में उल्लेखित नहीं है, इसलिए भी साक्षी वैष्णवी जैन का चश्मदीद साक्षी होने का तथ्य सन्देहास्पद प्रतीत होता है।

41 :– प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 10/04/2022 की है, जबकि साक्षी वैष्णवी जैन के धारा 161 द.प्र.सं. के पुलिस बयान (प्रदर्श पी–29) दिनांक 31/05/2022 को लेखबद्ध किये गए हैं, अर्थात घटना दिनांक से 51 दिन बाद साक्षी के कथन लेखबद्ध किये गए हैं। महत्वपूर्ण चश्मदीद साक्षी के कथन 51 दिन बाद लेखबद्ध करने का भी अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, यह तथ्य भी साक्षी

Scanned with OKEN Scanner

का चश्मदीद साक्षी होने का तथ्य सन्देहास्पद बनाता है।

42 :– प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 12/04/2022 को दिये गए लिखित शिकायत आवेदन पत्र (प्रदर्श पी–01, पी–17, पी–19, पी–25, पी–31 व पी–40) तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–07) में सभी 11 अभियुक्तगण के नाम उल्लेखित नहीं है, अपितू केवल 06 अभियुक्त के ही नाम उल्लेखित है, शेष 05 अभियुक्तगण को किस आधार पर अपराध में संलिप्त किया गया, यह अभियोजन ने स्पष्ट नहीं किया है, अनुसंधान के दौरान किसी भी चश्मदीद साक्षी से अभियुक्तगण की पहचान नहीं करवायी गयी है, साक्षी वैष्णवी जैन (अ.सा.–06) से भी अनुसंधान के दौरान कोई पहचान नहीं करवायी गयी है, उसने पहली बार न्यायालय में ही अभियुक्तगण की पहचान की है और उसमें भी साक्षी के कथन में कई विसंगति, विरोधाभास व सन्देहास्पद परिस्थिति प्रकट हुई है, इसलिए भी इस साक्षी के कथन पूर्णतः विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

43 :– यद्यपि इस साक्षी के पिता दिनेश जैन (अ.सा.–07) द्वारा पुलिस को दिये गए कथन (प्रदर्श पी–34) में अभियुक्तगण के नाम का उल्लेख है, किन्तु इस साक्षी ने भी अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर कथन चरण 06 में बताया है कि उसने पुलिस को किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं बताया था।

44 :– न्यायालय के समक्ष इस संबंध में कोई भी सारभूत साक्ष्य नहीं आई है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–07) में उल्लेखित 06 अभियुक्तगण को छोड़कर शेष 05 अभियुक्त, अर्थात अभियुक्त आजम, शब्बीर, इमरान, मुस्ताक व राजिक को किस आधार पर प्रकरण में संलिप्त किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी साक्षी ने न्यायालय में अभियुक्तगण को नाम से नहीं पहचाना है, तब पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट व अंतिम प्रतिवेदन में अभियुक्तगण का नाम किस आधार पर उल्लेखित किया, अनुसंधान के दौरान

Scanned with OKEN Scanner

पुलिस ने अभियुक्तगण की किसी भी साक्षी से कोई पहचान कार्यवाही नहीं करवायी है, इसलिए भी अभियुक्तगण को प्रश्नगत अपराध में संलिप्त करने का कोई ठोस स्त्रोत व आधार भी प्रकरण में प्रकट नहीं हुआ है।

45 :– प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी वैष्णवी जैन व उसके पिता दिनेश जैन के कथनों में यह भी प्रकट हुआ है कि घटना दिनांक को मौके पर लगभग 50 लोगों की भीड़ द्वारा घटना कारित की गई थी, इतने लोगों की भीड़ में से विनिर्दिष्ट रूप से प्रश्नगत 11 अभियुक्तगण की पहचान अनुसंधान के दौरान किस आधार पर की गई, यह भी अभियोजन ने स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए भी प्रकरण में अभियुक्तगण की पहचान सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होती है।

46 :– इस प्रकार यद्यपि साक्षी वैष्णवी जैन (अ.सा.–06) ने न्यायालय में अभियुक्तगण को चेहरे से पहचानना बताया है, किन्तु साक्षी के ही पिता दिनेश जैन (अ.सा.–07) व भाई आकाश जैन (अ.सा.–10) ने घटना कारित करने वाले लोगों के चेहरे पर कपड़े बंधे होना बताया है, साक्षी वैष्णवी जैन ने सभी 11 अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करना बताया है, जबकि उसके भाई आकाश ने चार–पांच लोगों का ही मौके पर होना बताया है, साक्षी के पिता दिनेश जैन ने मौके पर लगभग 50 लोगों की भीड़ बतायी है, अर्थात अभियुक्तगण की संख्या के संबंध में भी सारवान् विरोधाभास प्रकट हुआ है, घटना के समय के संबंध में भी उक्त तीनों साक्षीगण के कथनों में सारवान् विसंगति प्रकट हुई है, घटना के दो दिन बाद लेखबद्ध करायी गई लिखित शिकायत आवेदन पत्रों (प्रदर्श पी–01, पी–17, पी–19, पी–25, पी–31 व पी–40) व इनके आधार पर लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–07) में भी साक्षी वैष्णवी जैन का नाम चश्मदीद साक्षी के रूप में नहीं है, साक्षी के कथन पुलिस द्वारा घटना दिनांक से 51 दिन बाद लेखबद्ध किये गए हैं, विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, अनुसंधान के दौरान किसी भी साक्षी से अभियुक्तगण की पहचान नहीं करायी

Scanned with OKEN Scanner

गई है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल 06 अभियुक्तगण के नाम थे, किन्तु किसी भी साक्षी ने न्यायालय में यह नहीं बताया कि उनमें से किसी ने पुलिस को अभियुक्तगण का नाम बताया हो, कुल लगभग 50 लोगों की भीड़ में से प्रश्नगत 11 अभियुक्तगण की पहचान विनिर्दिष्ट रूप से किस आधार पर की गई, यह भी अभियोजन ने स्पष्ट नहीं किया है। उक्त समस्त परिस्थितियों के आधार पर एकमात्र साक्षी वैष्णवी (अ.सा.–06) के कथन स्वाभाविक, संतोषप्रद व विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं, उसके कथन में कई सारवान् विसंगतियॉ व विरोधाभास प्रकट हुए हैं, उसके कथन सन्देहास्पद प्रतीत होते हैं और उसके कथन के आधार पर प्रश्नगत सभी 11 अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होती है।

47 :– जहॉ तक साक्षी सोम बजाज (अ.सा.–11) के कथन का प्रश्न है, यह साक्षी घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है, इसने केवल घटना स्थल के छायाचित्र (एम.ओ.–01 लगायत एम.ओ.–63) के प्रिन्टआउट निकाले हैं। सर्वप्रथम तो उक्त छायाचित्रों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत सम्यक् रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है, इसके अतिरिक्त उक्त छायाचित्रों में से किसी भी छायाचित्र में कोई भी अभियुक्त दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उक्त छायाचित्रों के आधार पर भी प्रकरण में अभियुक्तगण की संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती है।

48 :– अनुसंधान अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक पूजा मोरे (अ.सा.–13) के कथन औपचारिक स्वरूप के हैं, इस साक्षी के आधार के आधार पर भी अपराध में किसी अभियुक्त की संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती है।

49 :– जहॉ तक घटना दिनांक को अभियुक्तगण द्वारा किसी विस्फोटक सामग्री का उपयोग किये जाने का प्रश्न है, प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा किसी विस्फोटक सामग्री का उपयोग किये जाने के संबंध में कोई विश्वसनीय प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं आई है। घटना दिनांक को दंगाईयों द्वारा पेट्रोल बम का उपयोग

Scanned with OKEN Scanner

कर आग लगाना बताया गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान जिन घरों में आगजनी की घटना हुई थी, वहॉ से कथित पेट्रोल बम की कांच की बातल के टूकड़े व जो पदार्थ जला था, उसकी राख जप्त कर पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन (प्रदर्श पी—54) के माध्यम से राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर जॉच के लिए भेजे थे, जिसके जॉच प्रतिवेदन (प्रदर्श पी—56) में उक्त सामग्री के संबंध में यह अभिमत दिया गया है कि उक्त सामग्री में ज्वलनशील पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन (पेट्रोल/डीजल/केरोसिन) के अवशेष अनुपस्थित पाये गए।

50 :— इस प्रकार प्रकरण में जॉच प्रतिवेदन (प्रदर्श पी—56) के आधार पर अभियुक्तगण या उनमें से किसी के द्वारा घटना दिनांक को किसी विस्फोटक पदार्थ का उपयोग किये जाने का तथ्य भी सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

<u>अंतिम निष्कर्ष :</u>

51 :— उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अभियोजन, अभियुक्त **01**—इबादत पिता अब्बास अली, **02**—सादिक पिता शाबीर खान, **03**—अब्दुल्ला पिता युसुफ खान बागवान, **04**—साहेब उर्फ शाहिब पिता जाहिद, **05**—शेरयार पिता मेहराज, **06**—फैजल पिता आजम खान, **07**—आजम पिता निजाम खान, **08**—शब्बीर पिता अब्दुल रसीद खान, **09**—इमरान पिता अमीर अली, **10**—मुस्ताक पिता लियाकत अली व **11**—राजिक पिता रमजान अली के विरूद्ध **धारा 147, 148, 336 सहपठित धारा 149, 427 सहपठित धारा 149, 435 सहपठित धारा 149, 436 सहपठित धारा 149 व 450 भा.द.सं. एवं धारा 3 सहपठित धारा 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908** के अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः उक्त अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देकर उक्त उल्लेखित अपराधों से **दोषमुक्त** किया जाता है।

52 :— प्रकरण में अनुसंधान, जांच एवं विचारण के दौरान अभियुक्तगण निम्नानुसार अभिरक्षा में रहे हैं :—

Scanned with OKEN Scanner

क.	अभियुक्त का नाम	अभिरक्षा दिनांक	अभिरक्षा अवधि
1	इबादत पिता अब्बास अली,	दिनांक 12/04/2022 से दिनांक 16/07/2024 तक	कुल 827 दिवस
2	सादिक पिता शाबीर खान,	दिनांक 12/04/2022 से दिनांक 21/07/2023 तक	कुल 466 दिवस
3	अब्दुल्ला पिता युसुफ खान बागवान,	दिनांक 12/04/2022 से दिनांक 21/07/2023 तक	कुल 466 दिवस
4	साहेब उर्फ शाहिब पिता जाहिद,	दिनांक 12/04/2022 से दिनांक 21/07/2023 तक	कुल 466 दिवस
5	शेरयार पिता मेहराज,	दिनांक 12/04/2022 से दिनांक 16/07/2024 तक	कुल 827 दिवस
6	फैजल पिता आजम खान,	दिनांक 13/04/2022 से दिनांक 24/07/2023 तक	कुल 468 दिवस
7	आजम पिता निजाम खान,	दिनांक 13/04/2022 से दिनांक 23/09/2023 तक	कुल 529 दिवस
8	शब्बीर पिता अब्दुल रसीद खान,	दिनांक 13/04/2022 से दिनांक 31/10/2023 तक	कुल 567 दिवस
9	इमरान पिता अमीर अली,	दिनांक 13/04/2022 से दिनांक 18/07/2023 तक	कुल 462 दिवस
10	मुस्ताक पिता लियाकत अली,	दिनांक 13/04/2022 से दिनांक 31/10/2023 तक	कुल 567 दिवस
11	राजिक पिता रमजान अली,	दिनांक 13/04/2022 से दिनांक 18/07/2023 तक	कुल 462 दिवस

53 :– अभियुक्तगण की उक्त अभिरक्षा की अवधि के संबंध में पृथक से धारा 428 द.प्र.सं. के तहत प्रमाण–पत्र तैयार कर संलग्न किए जावे।

54 :– अभियुक्तगण के जमानत एवं बंध–पत्र धारा 437–ए द.प्र.सं. के तहत छः माह की अवधि तक के लिये वरिष्ठ न्यायालय में उसकी उपस्थिति को बाध्यकर बनाये जाने के प्रयोजन से प्रभावी रहेंगे। यदि छः माह तक वरिष्ठ न्यायालय में कोई अपील या याचिका प्रस्तुत नहीं होती है तो अभियुक्तगण के जमानत एवं बंधपत्र छः माह बाद स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

55 :– प्रकरण में जप्तशुदा सामग्री जला हुआ पदार्थ व बाटल कांच के टुकड़े मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए।

55 :– निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, जिला खरगोन को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया

(मुकेश नाथ)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
खरगोन (मण्डलेश्वर)

(मुकेश नाथ)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
खरगोन (मण्डलेश्वर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप–ड

अपराध की तारीख	10.04.2022
प्र.सू.रि. की तारीख	12.04.2022
अभियोग–पत्र प्रस्तुत करने की तारीख	11.07.2022
आरोपों के विरचना की तारीख	15.12.2022
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	24.08.2023
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	20.07.2026
निर्णय की तारीख	27.07.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्–तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोष–मुक्ति .या दोष–सिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 भा.द.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01	इबादत पिता अब्बास अली, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 16, मियामान मोहल्ला, खरगोन, जिला खरगोन.	12.04.22	16.07.24	धारा 147, 148, 336/149, 427/149, 435/149, 436/149 व 450 भा.द.सं. एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम	**दोषमुक्त**	**निरंक**	कुल 827 दिवस
02	सादिक पिता शाबीर खान, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी मियामान मोहल्ला, खरगोन, जिला खरगोन.	12.04.22	21.07.23	धारा 147, 148, 336/149, 427/149, 435/149, 436/149 व 450 भा.द.सं. एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम	**दोषमुक्त**	**निरंक**	कुल 466 दिवस
03	अब्दुल्ला पिता युसुफ खान बागवान, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी मियामान मोहल्ला, बगले वाली गली, खरगोन, जिला खरगोन.	12.04.22	21.07.23	धारा 147, 148, 336/149, 427/149, 435/149, 436/149 व 450 भा.द.सं. एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम	**दोषमुक्त**	**निरंक**	कुल 466 दिवस
04	साहेब उर्फ शाहिब पिता जाहिद, आयु लगभग 27 वर्ष,	12.04.22	21.07.23	धारा 147, 148, 336/149, 427/149, 435/149,	**दोषमुक्त**	**निरंक**	कुल 466 दिवस

Scanned with OKEN Scanner

	निवासी मियामान मोहल्ला, रामेश्वर टॉकिज के पीछे, खरगोन, जिला खरगोन.			436/149 व 450 भा.द.सं. एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम			
05	शेरयार पिता मेहराज, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी मियामान मोहल्ला, कुँए के पास, खरगोन, जिला खरगोन.	12.04.22	16.07.24	धारा 147, 148, 336/149, 427/149, 435/149, 436/149 व 450 भा.द.सं. एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम	**दोषमुक्त**	**निरंक**	कुल 827 दिवस
06	फैजल पिता आजम खान, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी कलाली कुआ, अल्लावाला मस्जिद के सामने, खरगोन, जिला खरगोन.	13.04.22	24.07.23	धारा 147, 148, 336/149, 427/149, 435/149, 436/149 व 450 भा.द.सं. एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम	**दोषमुक्त**	**निरंक**	कुल 468 दिवस
07	आजम पिता निजाम खान, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी कलाली मोहल्ला, अल्लावाला मार्ग, खरगोन, जिला खरगोन.	13.04.22	23.09.23	धारा 147, 148, 336/149, 427/149, 435/149, 436/149 व 450 भा.द.सं. एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम	**दोषमुक्त**	**निरंक**	कुल 529 दिवस
08	शब्बीर पिता अब्दुल रसीद खान, आयु लगभग 54 वर्ष, निवासी कलाली कुए के पास, शाही मस्जिद के पास, खरगोन, जिला खरगोन.	13.04.22	31.10.23	धारा 147, 148, 336/149, 427/149, 435/149, 436/149 व 450 भा.द.सं. एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम	**दोषमुक्त**	**निरंक**	कुल 567 दिवस
09	इमरान पिता अमीर अली, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी कलाली कुआ, मस्जिद के सामने, खरगोन, जिला खरगोन.	13.04.22	18.07.23	धारा 147, 148, 336/149, 427/149, 435/149, 436/149 व 450 भा.द.सं. एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम	**दोषमुक्त**	**निरंक**	कुल 462 दिवस
10	मुस्ताक पिता लियाकत अली, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी कलाली मस्जिद के सामने, खरगोन, जिला खरगोन.	13.04.22	31.10.23	धारा 147, 148, 336/149, 427/149, 435/149, 436/149 व 450 भा.द.सं. एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम	**दोषमुक्त**	**निरंक**	कुल 567 दिवस

Scanned with OKEN Scanner

11	राजिक पिता रमजान अली, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी कलाली मोहल्ला, मछली बाजार के पास, खरगोन, जिला खरगोन.	13.04.22	18.07.23	धारा 147, 148, 336/149, 427/149, 435/149, 436/149 व 450 भा.द.सं. एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम	**दोषमुक्त**	**निरंक**	कुल 462 दिवस

प्रारूप–च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा. 01	श्याम महाजन	फरियादी/शिकायतकर्ता
अ.सा. 02	गोकुल महाजन	फरियादी/शिकायतकर्ता
अ.सा. 03	रोहित महाजन	फरियादी/शिकायतकर्ता
अ.सा. 04	बृजेश महाजन	अन्य साक्षी
अ.सा. 05	अभय कंठालिया	फरियादी/शिकायतकर्ता
अ.सा. 06	वैष्णवी जैन	चश्मदी साक्षी
अ.सा. 07	दिनेश जैन	फरियादी/शिकायतकर्ता
अ.सा. 08	अक्षय महाजन	अन्य साक्षी
अ.सा. 09	हर्षल कंठालिया	अन्य साक्षी
अ.सा. 10	आकाश जैन	चश्मदी साक्षी
अ.सा. 11	सोम बजाज	अन्य साक्षी
अ.सा. 12	योगेश सराफ	फरियादी/शिकायतकर्ता
अ.सा. 13	पूजा मोरे	पुलिस अनुसंधान अधिकारी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
	निरंक	

Scanned with OKEN Scanner

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
	निरंक	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :

स.क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	प्रदर्श पी. 01/अ.सा. 01	साक्षी श्याम का लिखित शिकायत आवेदन पत्र
02.	प्रदश पी. 02/अ.सा. 01	घटना स्थल का नक्शामौका
03.	प्रदर्श पी. 03/अ.सा. 01	जप्ती पत्रक
04.	प्रदर्श पी. 04/अ.सा. 01	जप्ती पत्रक
05.	प्रदर्श पी. 05/अ.सा. 01	जप्ती पत्रक
06.	प्रदर्श पी. 06/अ.सा. 01	जप्ती पत्रक
07.	प्रदर्श पी. 07/अ.सा. 01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
08.	प्रदर्श पी. 08/अ.सा. 01	अभियुक्त इबादत अली का गिरफ्तारी पंचनामा
09.	प्रदर्श पी. 09/अ.सा. 01	अभियुक्त सादिक का गिरफ्तारी पंचनामा
10.	प्रदर्श पी. 10/अ.सा. 01	अभियुक्त अब्दुला का गिरफ्तारी पंचनामा
11.	प्रदर्श पी. 11/अ.सा. 01	अभियुक्त साहेब का गिरफ्तारी पंचनामा
12.	प्रदर्श पी. 12/अ.सा. 01	अभियुक्त शेरयार का गिरफ्तारी पंचनामा
13.	प्रदर्श पी. 13/अ.सा. 01	नुकसानी पंचनामा
14.	प्रदर्श पी. 14/अ.सा. 01	नुकसानी पंचनामा
15.	प्रदर्श पी. 15/अ.सा. 01	नुकसानी पंचनामा
16.	प्रदर्श पी. 16/अ.सा. 01	साक्षी श्याम का कथन अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं.
17.	प्रदर्श पी. 17/अ.सा. 02	साक्षी गोकुल का लिखित शिकायत आवेदन पत्र
18.	प्रदर्श पी. 18/अ.सा. 02	साक्षी गोकुल का कथन अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं.
19.	प्रदर्श पी. 19/अ.सा. 03	साक्षी रोहित का लिखित शिकायत आवेदन पत्र
20.	प्रदर्श पी. 20/अ.सा. 03	जप्ती पत्रक
21.	प्रदर्श पी. 21/अ.सा. 03	नुकसानी पंचनामा

Scanned with OKEN Scanner

22.	प्रदर्श पी. 22/अ.सा. 03	साक्षी रोहित का कथन अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं.
23.	प्रदर्श पी. 23/अ.सा. 04	नुकसानी पंचनामा
24.	प्रदर्श पी. 24/अ.सा. 04	साक्षी बृजेश का कथन अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं.
25.	प्रदर्श पी. 25/अ.सा. 05	साक्षी अभय का लिखित शिकायत आवेदन पत्र
26.	प्रदर्श पी. 26/अ.सा. 05	जप्ती पत्रक
27.	प्रदर्श पी. 27/अ.सा. 05	साक्षी अभय का कथन अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं.
28.	प्रदर्श पी. 28/अ.सा. 06	जप्ती पत्रक
29.	प्रदर्श पी. 29/अ.सा. 06	साक्षी वैष्णवी का कथन अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं.
30.	प्रदर्श पी. 30/अ.सा. 06	साक्षी वैष्णवी का कथन अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं.
31.	प्रदर्श पी. 31/अ.सा. 07	साक्षी दिनेश का लिखित शिकायत आवेदन पत्र
32.	प्रदर्श पी. 32/अ.सा. 07	जप्ती पत्रक
33.	प्रदर्श पी. 33/अ.सा. 07	नुकसानी पंचनामा
34.	प्रदर्श पी. 34/अ.सा. 07	साक्षी दिनेश का कथन अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं.
35.	प्रदर्श पी. 35/अ.सा. 07	साक्षी दिनेश का कथन अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं.
36.	प्रदर्श पी. 36/अ.सा. 08	साक्षी अक्षय का कथन अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं.
37.	प्रदर्श पी. 37/अ.सा. 09	साक्षी हर्षल का कथन अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं.
38.	प्रदर्श पी. 38/अ.सा. 10	साक्षी आकाश का कथन अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं.
39.	प्रदर्श पी. 39/अ.सा. 11	प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधि.
40.	प्रदर्श पी. 40/अ.सा. 12	साक्षी योगेश का लिखित शिकायत आवेदन पत्र
41.	प्रदर्श पी. 41/अ.सा. 13	गिरफ्तारी की सूचना
42	प्रदर्श पी. 42/अ.सा. 13	अभियुक्त फैजल का गिरफ्तारी पंचनाम
43	प्रदर्श पी. 43/अ.सा. 13	अभियुक्त आजम का गिरफ्तारी पंचनाम
44	प्रदर्श पी. 44/अ.सा. 13	अभियुक्त शब्बीर का गिरफ्तारी पंचनाम
45	प्रदर्श पी. 45/अ.सा. 13	अभियुक्त इमरान का गिरफ्तारी पंचनाम
46	प्रदर्श पी. 46/अ.सा. 13	अभियुक्त मुस्ताक का गिरफ्तारी पंचनाम
47	प्रदर्श पी. 47/अ.सा. 13	अभियुक्त राजिक का गिरफ्तारी पंचनाम
48	प्रदर्श पी. 48/अ.सा. 13	नुकसानी पंचनामे हेतु तहसीलदार को लिखा पत्र
49	प्रदर्श पी. 49/अ.सा. 13	फरियादी के मकान की जानकारी के संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, खरगोन को लिखा पत्र
50	प्रदर्श पी. 50/अ.सा. 13	नुकसानी पंचनामे हेतु तहसीलदार को लिखा पत्र
51	प्रदर्श पी. 51/अ.सा. 13	नुकसानी पंचनामे हेतु तहसीलदार को लिखा पत्र

Scanned with OKEN Scanner

52	प्रदर्श पी. 52/अ.सा. 13	बी.डी.डी.एस., खरगोन का क्वेरी अभिमत
53	प्रदर्श पी. 53/अ.सा. 13	अभियोजन स्वीकृति पुलिस अधीक्षक को लिखा पत्र
54	प्रदर्श पी. 54/अ.सा. 13	घटना स्थल से जप्त पेट्रोल बम की कांच की बोतल के टुकड़े व जला हुआ अवशेष (राख) जांच हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सिविल लाईन, सागर भेजे जाने का पत्र
55	प्रदर्श पी. 55/अ.सा. 13	प्राप्ति रसीद
56	प्रदर्श पी. 56/अ.सा. 13	जॉच परीक्षण प्रतिवेदन
57	प्रदर्श पी. 57/अ.सा. 13	प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधि.

ख. प्रतिरक्षा :

स.क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निल	

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

स. क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निल	

घ. आवश्यक वस्तुऍ :

स. क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	एम.ओ.–01 लगायत एम.ओ. 63/अ.सा. 11	फोटोग्राफ्स
02	एम.ओ.–64/अ.सा. 11	पेनड्राइव
03	एम.ओ.–65/अ.सा. 11	सी.डी.

(मुकेश नाथ)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
खरगोन (मण्डलेश्वर)

Typed by
Shalandra Mandloi
Stenographer

MUKESH NATH
Digitally signed by MUKESH NATH
Date: 2026.07.27 15:19:47 +0530

Scanned with OKEN Scanner